FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

न ....विमला देवी वगै॰.... बनाम ....हरिशंकर मीणा वगै॰....

मुकदमा दावा – घोषणा, दुरस्ती रिकार्ड, स्थाई मुकदमा नं॰ ....53.... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13/05/19	वकील वादीगण श्री सुभाष शर्मा ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 29/05/19 को पेश हो।	सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसम्बर - 7 DECEMBER ARMED FORCES FLAG DAY सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसम्बर - 7 DECEMBER ARMED FORCES FLAG DAY
29/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप०/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.6.19 को पेश हो।	1223-34 17-5-19
17/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/7/19 को पेश हो।	
29/07/19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र बाबत दावा विड्रा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित भूमि की नकशा में दुरुस्त करवा रखा है, की वह सड़क/रास्ता नजर में तरमीम नहीं आती है जबकि उक्त सड़क मौके पर जिस अनुसार स्थापित है नकशा में आज तक तरमीम नहीं की	29/7/19

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

गई है एवं उक्त सड़क ख० नं० 1857 की भूमि में से पाईपलाइन लाइन के सहारे-2 अटी-दाइणी दी है तथा सड़क खुदाई के पश्चात सड़क की पाईप में पाईपलाइन खारिज करते हैं। इसलिए उक्त वादपत्र व T.I. पेश करते समय उक्त तथ्य की जानकारी नहीं थी तथा ना ही यह जानकारी थी की सड़क को तरमीम नहीं किया गया है उक्त हाल ही में L.R. द्वारा मौका देखने पर उक्त सत्यता की जानकारी हुई है इसलिए विवादित स्थल के बाद के तथ्य कुछ भिन्न है इसलिए उक्त प्रा० पत्र स्वीकार कर नया वादपत्र पेश करने की अनुमति देते हुए दावा विड्रा की अनुमति प्रदान करें।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे वादीगण का प्रा० पत्र बाबत विड्रा वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर नया वादपत्र पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए दावा विड्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/01/19

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)